प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बत्तीस'

[22/2/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 850]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
(MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS)
क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE
ई-2/167, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज स्टेशन के पास, भोपाल (म.प्र.) 462 016
E-2/167, Arera Colony, Near Habibganj Station, Bhopal (M.P.)-462 016

दूरभाष/Phone : 0755-2426638
फैक्स/Fax : 0755-2426698
ईमेल/E-mail : robhopal@nhai.org

परिशिष्ट–1

संशोधित

भाराराप्रा/आर.ओ.-एम.पी./2017/वि.स./26738 दिनांक 08.02.2017

प्रति

कार्यालय मुख्य अभियंता (रा.रा.परि.)
लो.नि.वि अरेरा हिल्स
भोपाल (म.प्र.)

विषयः– एन.एच.-7 फोर लेन सड़क का निर्माण। (विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र.-850 द्वारा, माननीय श्री अशोक रोहाणी)।
संदर्भः– आपका कार्यालयीन मेल 31.01.2017

महोदय,

संदर्भित मेल दिनांक 31.01.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्न क्र.-850 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाली पकिइकाई-जबलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	एन.एच.-7 रीवा से लखनादौन 287 कि.मी. फोर लेन सड़क निर्माण का मूल कार्य योजना के तहत इस पर अभी तक कुल कितनी राशि व्यय हुई। कार्य की प्रगति क्या है? इसकी कुल लागत अवधि व एजेन्सी सहित जानकारी दें।	पकाई-जबलपुर कार्यालय के अंतर्गत रा.रा.क्र. 7 के अंतर्गत रीवा से लखनादौन तक का भाग आता है, जिसका चार लेन चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर है। अब तक 175.83 करोड़ रू. व्यय हुए हैं। कार्य प्रगति पर है। कार्य की कुल लागत 2849.64 करोड़ रू. है, उक्त कार्य मेसर्स एल. एण्ड टी. लि. मुंबई के द्वारा ईपीसी पद्धति पर किया जा रहा है। परियोजना का कार्य जून 2015 में प्रारम्भ हुआ था इस प्रोजेक्ट की पैकेज क्र. 1,2,4 की निर्धारित अवधि 24 महीने एवं पैकेज जे.एल. की निर्धारित अवधि 30 महीने है। परियोजना विभिन्न कारणों से विलम्बित है और आशा है कि कार्य मार्च 2018 तक पूर्ण हो जायेगा।
(ख)	प्रश्नांक (क) में अधिग्रहित कितनी भूमि खाली नहीं कराई गई है एवं क्यों? कितने कच्चे-पक्के मकानों/दुकानों को चिन्हित कर तोड़ने की क्या कार्यवाही की गई। अधिग्रहित कितनी भूमि के मुआवजे	अधिग्रहित लगभग 50 प्रतिशत भूमि विभिन्न कानूनी बाध्यताओं के कारण खाली नहीं कराई गई है, लगभग 1432 कच्चे/पक्के मकानों/दुकानों को चिन्हित कर तोड़ने की कार्यवाही प्रगति पर है। अधिग्रहित भूमि की पूर्ण मुआवजा राशि भू-अर्जन अधिकारी के खाते में जमा किया जा चुका है।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	की कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं क्यों?	
(ग)	प्रश्नांक (क) में सड़क चौड़ीकरण हेतु राजस्व व वनविभाग ने कितने पेड़ों को काटने की स्वीकृति दी है एवं कितने पेड़ों की कटाई किस एजेंसी से किन शर्तों पर कराई गई है ?	सड़क चौड़ीकरण हेतु राजस्व व वन विभाग द्वारा 47,390 वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान की गई है। वन विभाग द्वारा वन भूमि पर स्थित 13,725 वृक्षों को कटवाया गया है, एवं शेष 33,665 वृक्षों को अनुबंधानुसार संविदाकार एजेंसी मेसर्स एल. एण्ड टी. लि. मुंबई के द्वारा कटवाया जा रहा है। निर्धारित शर्तों के अनुसार वृक्षों की कटाई की राशि का खर्चा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा और गिरे हुए वृक्ष प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आयेगें तथा उनका निष्कासन भी प्राधिकरण द्वारा उचित किफायती तरीके से किया जायेगा।

(एस.के.अग्निहोत्री)
प्रबंधक (तक.)/
नोडल अधिकारी

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

प.क्रि.ई. प्लाट नं. 1366, पीस पैलेस पॉलिटेक्निक के पास, कटंगा चौक, विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.)–482 002

PIU OFFICE : Plot No. 1366, Near Jain Dental Clinic, Adarsh Chowk, Vijay Nagar, Jabalpur (M.P.) 482 002

दूरभाष : 0761-4047042
फैक्स : 0761-4047042
ईमेल : jabalpur@nhai.org
nhaijabalpur@gmail.com

भारासप्रा / पक्रिई / जबलपुर / विधानसभा / 2017 / 1084 ;   दिनांक 08.02.2017

प्रति

मुख्य महाप्रबंधक (तक) एवं क्षेत्रीय अधिकारी–म.प्र.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
क्षेत्रीय कार्यालय, ई–2 / 167 अरेरा कालोनी, हबीबगंज स्टेशन के पास,
भोपाल (म.प्र.)

विषय : एन.एच.–7 फोर लेन सड़क का निर्माण। (विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र.–850 द्वारा, माननीय श्री अशोक रोहाणी)।

संदर्भ : मुख्य महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का ई–मेल दिनांक 31.01.2017.

श्रीमान्,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित ई–मेल के माध्यम से, विधानसभा के अतारांकित प्रश्न क्र. 850 द्वारा माननीय, श्री अशोक रोहाणी द्वारा, पूछे गये प्रश्न के संबंध में, जो जानकारी चाही गई है, वह निम्नानुसार है :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	एन.एच.–7 रीवा से लखनादौन 287 कि.मी. फोर लेन सड़क निर्माण के मूल कार्य योजना के तहत इस पर अभी तक कुल कितनी राशि व्यय हुई। कार्य की प्रगति क्या है ? इसकी कुल लागत अवधि व एजेन्सी सहित जानकारी दें।	इस कार्यालय के अंतर्गत रीवा से लखनादौन तक के राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 7 के भाग का भाग आता है, जिसका चार लेन चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर है। अब तक 175.63 करोड़ रू. व्यय हुए हैं। कार्य पूरी गति के साथ प्रगति पर है। कार्य की कुल लागत 2849.04 करोड़ रू. है, उक्त कार्य मैसर्स एल. एण्ड टी. लि. मुंबई के द्वारा ईपीसी पद्धति पर किया जा रहा है (परियोजना का कार्य जून 2015 में प्रारंभ हुआ था।) इस प्रोजेक्ट की पैकेज रीवा–जबलपुर की निर्धारित अवधि 24 महीने एवं पैकेज जबलपुर–लखनादौन की निर्धारित अवधि 30 महीने है; परियोजना विभिन्न कारणों से विलम्बित है और आशा है कि कार्य मार्च 2018 तक पूर्ण हो जायेगा।
(ख)	प्रश्नांश (क) में अधिग्रहित कितनी भूमि खाली नहीं कराई गई है एवं क्यों ? कितने कच्चे–पक्के मकानों / दुकानों को चिन्हित कर तोड़ने की क्या कार्यवाही की गई। अधिग्रहित कितनी भूमि के मुआवजे की कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है एवं क्यों ?	अधिग्रहित लगभग 10 प्रतिशत भूमि विभिन्न कानूनी बाध्यताओं के कारण खाली नहीं कराई गई है, लगभग 1432 कच्चे / पक्के मकानों / दुकानों को चिन्हित कर तोड़ने की कार्यवाही प्रगति पर है। अधिग्रहित भूमि की पूर्ण मुआवजा राशि भू–अर्जन अधिकारी के खाते में जमा किया जा चुका है.
(ग)	प्रश्नांश (क) में सड़क चौड़ीकरण हेतु राजस्व व वनविभाग ने कितने पेड़ों को काटने की स्वीकृति दी है एवं कितने पेड़ों की कटाई किस एजेंसी से किन शर्तो पर कराई गई है ?	सड़क चौड़ीकरण हेतु राजस्व व वनविभाग द्वारा 47,390 वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान की गई है। वनविभाग द्वारा वन भूमि पर स्थित 13,725 वृक्षों को कटवाया गया है, एवं शेष 33,665 वृक्षों को अनुबंधानुसार संविदाकार एजेंसी मैसर्स एल. एण्ड टी. लि. मुंबई के द्वारा कटवाया जा रहा है। निर्धारित शर्तों के अनुसार वृक्षों की कटाई की राशि का खर्चा प्राधिकरण के द्वारा वहन किया जायेगा और गिरे हुए वृक्ष प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आयेंगे तथा उनका निष्पादन भी प्राधिकरण के द्वारा उचित क्रियाशील तरीके से किया जायेगा।

सधन्यवाद।

(ले. कर्नल शरद चंद सिंह)
महाप्रबंधक / परियोजना निदेशक
भा.रा.रा.प्रा., प.क्रि.ई.–जबलपुर (म.प्र.)